


दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री संजीव आहुजा अधिवक्ता प्रतिवादी 1 व 2, 11 ता 18 की ओर से श्री सोहान लाल सुथार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर चुंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण 3 ता 10 के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुदा है एवं अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी द्वारा प्राथमिक डिक्री करने पर सहमती व्यक्ति की गई है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीलीबंगा को आदे 1 दिया जाता है कि विवादित भूमि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 एवम् प्रतिवादी सं. 2 से 4 के पिता हरनेकसिंह के नाम से संयुक्त खाता में तहसील पीलीबंगा के 18 पीबीएन ए के खाता संख्या 16/10 की कुल 6.072 है. नहरी में से तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन ए के प.न. 16/316 मु.न. 70 किला न. 2/.253, 9/.253, 12/.253, 19/.253, 22/.202, 23/.051 कुल 1.265 है. के संबंध में संयुक्त खाता की भूमि को अच्ची-मन्दी के एवं रास्ता-खाला की सहूलियत देखते हुए व कब्जा का त को प्राथमिकता देते हुए राजस्व नियम 18 ता 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें प्राथमिक डिक्री जारी हो।



(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर एवं
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा

